

तारीख
हुक्म

५/१०/२२

सुल्का खनाम नंगा
प्राथमिक शिक्षण कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
प्राथमिक शिक्षण
२०२२/२३

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

पत्रवली पेश हुई, पत्रवली वृद्धि निर्णय
हुई पेश हुई तहसीलदार करेडा से प्राप्त
पत्रवली मय डकवेजार का भवलयोकन व मनन
विश्रागया तहसीलदार करेडा की रिपोर्ट व काब्रकाम
की आपसी सहमति के आधार पर प्राची का प्रा
पत्र स्वीकार किया जाता है।
:- आदेश :-

तहसीलदार करेडा से प्राप्त डकवेजार व राजपत्र रिपोर्ट
व सहमति रिपोर्ट के आधार पर प्राची का प्रापत्र
स्वीकार किया जाकर ग्राम-चोदानो की कमेटी १०८, ३३
तहसीलकरेडा की आ०नं. १६१४ रकबा ०.६५५० में से ०.०५६०
किस-चारागाह, आ०नं. २३९०/१६१३ रकबा ०.७५८८ में
से ०.०७२० हेक्टर किस बंजड, आ०नं. २३०२/१६१३ रकबा
०.५६७९ में से ०.००६५ हेक्टर किस बंजड, आ०नं. १६१३
रकबा ०.७२०८ हेक्टर में से ०.०३२० हेक्टर किस बंजड
आ०नं. २५५९/१६१५ रकबा ३.२६२८ में से ०.०१०८ हेक्टर
किस-चारागाह आ०नं. २३६३/१६१२ रकबा १.२६५६ में से
०.०२५३ किस बंजड आ०नं. २३६१/१६१२ रकबा १.११२९
में से ०.०३६३ किस बंजड आ०नं. २३३५/१६१५ रकबा
२.०५८७ में से ०.०१७६ हेक्टर कुल किंवा ०८ कुवा
रकबा १०.२८१५ हेक्टर में से कुल शर्द के उपयोग में
हो रहा कुल रकबा ०.२५०८ हेक्टर धूमि मोडे पर जंगल
सड़क होकर शर्द चालू है जो सार्वजनिक आवागमन एक
कार्यकारी के खेले पर आने के उपयोग हो रहा है।
आ. आ०नं. १६१४ रकबा ०.६५५० किस-चारागाह में से
०.०५६० हेक्टर आ०नं. २५५९/१६१५ रकबा ३.२६२८ किस-चारागाह
में से ०.०१०८ हेक्टर धूमि पर सार्वजनिक जंगल सड़क उपयोग
शर्द के रूप में चालू शर्द का रकबा ०.०११० हेक्टर की
-चारागाह के कुल रकबा में शर्दें छोटे राजपत्र मय में
भंजन करे। एव आ०नं. २३९०/१६१३ रकबा ०.७५८८
किस बंजड में से ०.०७२० हेक्टर आ०नं. २३०२/१६१३ रकबा
०.५६७९ हेक्टर किस बंजड में से ०.००६५ हेक्टर आ०
नं. १६१३ रकबा ०.७२०८ हेक्टर में से ०.०३२० हेक्टर
आ०नं. २३६३/१६१२ रकबा १.२६५६ किस बंजड में से ०.०२५३
हेक्टर आ०नं. २३६१/१६१२ रकबा १.११२९ किस ०.०३६३



उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कर्तव्य करेडा

न्यायालय उपखंड अधिकारी

लाला बनाम नेना

पदेन सहायक कलक्टर या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

करेडा (पिलवाडा)

प्रा० पत्र 2022/2017

पत्र 2334/1615 शकवा 2.0487 डिम्बजुड में से
0.0176 हेक्टर भूमी का शहरकारान की सहायके के आचार
पर मोके पर-चालु शर्तों का अफन राजस्य रिपोर्ट व
राजस्य नम्बरो में सार्वजनिक शर्तों के रूप में उर्जा करे!
पालना रिपोर्ट न्यायालय राजा में पेश करे। पत्रावली के लल
शुमार होकर उर्जा नम्बर से कम हो।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा